28

संख्या– /XXVIII–5–2012–126/2011

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 30 जनवरी, 2013

विषयः जनपद उत्तरकाशी के नेताला में स्थापित अचल प्रशिक्षण केन्द्र के भवन/भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/26/2011/ 29647, दिनांक 30.11.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी के अधिपत्य में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली भूमि/निर्मित्त भवन, अचल प्रशिक्षण केन्द्र के प्रयोजनार्थ 0.1730 है0 भूमि, जिसका खसरा सं0–4134 रकबा 0.0160 हैक्टेयर, खसरा सं0–4135 रकबा 0.0160 हैक्टेयर, खसरा सं0–4131 रकबा 0.0650 हैक्टेयर, खसरा सं0–4133 रकबा 0.0480 हैक्टेयर, तथा खसरा सं0–4137 रकबा 0.0280 हैक्टेयर कुल 0.1730 हैक्टेयर है, को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) प्रश्नगत भूमि में निर्मित आवासों के अधिकृत अध्यासियों के पुनर्वास का दायित्व चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा।

(2) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(3) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।

(4) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न परियोजन के लिए उपयोग की जाय, तो उसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(5) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

P.T.O

(7) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(8) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(9) प्रस्तावित भूमि पर गैर बानिकी कार्य किये जाने की दशा में नियमानुसार वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही, सक्षम प्राधिकारी स्तर से पूर्व में सुनिश्चित कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

संख्या– 108 (1)/XXVIII–5–2012–126/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(2) मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
(3) जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
(4) मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
(5) निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।